मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भोपाल– 462003
(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन राष्ट्रीय महत्व का संस्थान)
MAULANA AZAD NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY, BHOPAL - 462003
(An Institute of National Importance under Ministry of Education, Govt. of India)

No MANIT/Estt./2022/ 762

Dated 03.10.2022

परिपत्र

विषय: दो पहिया वाहन चालक द्वारा हेलमेट धारण करने विषयक निर्देश।

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, पी.टी.आर.आई., पु.मु. भोपाल द्वारा दिनांक 01.10.2022 को जारी पत्र क्र.पुमु/अमनि/पीटीआरआई/सेल-2(अभि.)/3076/2022 आवश्यक अनुपालन हेतु संस्थान के सभी कर्मचारियों और छात्रों के संदर्भ के लिए संलग्न है।

संस्थान के सक्षम प्राधिकारी द्वारा दोपहिया वाहन चलाने वाले सभी कर्मचारियों और छात्रों को संलग्न पत्र में उल्लेखित दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए निर्देशित किया जाता है।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार

गौरव द्विवेदी 03/10/22
उप कुलसचिव (स्थापना)

प्रतिलिपि:
1. समस्त कर्मचारियों एवं छात्रों को विभागाध्यक्षों, अनुभाग प्रमुखों और केंद्र प्रमुखों के माध्यम से
2. सुरक्षा अधिकारी
3. सूचना पटल
4. प्रभारी वेबसाइट अपलोड हेतु
5. कुलसचिव के निजी सहायक - रिकॉर्ड हेतु
6. निदेशक के निजी सहायक - निदेशक महोदय की जानकारी हेतु

गौरव द्विवेदी 03/10/22
उप कुलसचिव (स्थापना)

Address: MANIT, Link Road No.3, Near Mata Mandir, Bhopal-462003(M.P.) INDIA
Phone: +91-755-4051000, 4052000 **Fax**: +91-755-2670562 **Web**:http://www.manit.ac.in

// पुलिस मुख्यालय, मध्यप्रदेश, भोपाल //

दूरभाष क्र. 0755–2570543 फैक्स न. 0755–2570543
ईमेल– aig_ptrl@mppolice.gov.in
पीटीआरआई, जहांगीराबाद भोपाल पिन– 462008

क्रमांक :–पुमु/अमनि/पीटीआरआई/सेल–2(अभि.)/3076/2022 दिनांक 1. 10.2022

प्रति,

1 पुलिस आयुक्त,
जिला – भोपाल/इंदौर

2 समस्त जिला पुलिस अधीक्षक,
मध्यप्रदेश

विषय :– W/P 7436/21 के संदर्भ में दो पहिया वाहन सवार द्वारा हेलमेट धारण करने विषयक निर्देश।

संदर्भ:– माना० उच्च न्यायालय जबलपुर में प्रस्तुत W/P 7436/21 ऐश्वर्या शांडिल्य विरूद्व म०प्र० शासन एवं अन्य में, मुख्य सहायक ज्यूडिशियल उच्च न्यायालय जबलपुर की प्रोसेस आई० डी०153957 दिनांक 20/09/2022 एवं श्री हरप्रीत सिंह रूपराह, अतिरिक्त महाधिवक्ता, कार्यालय महाधिवक्ता, जबलपुर का पत्र दिनांक 27.09.2022

—00—

उपरोक्त संदर्भित विषयांतर्गत लेख है कि, दो पहिया वाहन पर हेलमेट धारण नही करने वाले वाहन चालकों के विरूध्द मोटरयान अधिनियम की धारा 128 एवं 129 का सख्ती से पालन करने हेतु माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर से निर्देश प्राप्त हुये है।

अतः इस संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही गंभीरता से किया जाकर पालन प्रतिवेदन भेजे।

1. समस्त शासकीय/अर्ध शा० एवं प्राइवेट कार्यालय में प्रमुख को पत्र लेख किया जाकर सभी कर्मचारियों को (पीलीयन राइडर सहित) हेलमेट धारण करने के संबंध में लिखित निर्देश जारी किये जावे। हेलमेट धारण न करने वाले के विरूध्द सख्ति से कार्यवाही करते हुये कार्यालय में प्रवेश निरूध्द करने बाबत सख्त हिदायत दिया जावे।

2. सभी स्कूल एवं कॉलेजो के प्रधान अध्यापक/प्रधान आचार्य सभी छात्र –छात्राओं के अभिभावकों एवं कर्मचारियों को निर्देशित करे कि, वह बच्चो को स्कूल /कॉलेज लेकर आते– जाते समय आवश्यक रूप से हेलमेट धारण करें साथ ही हेलमेट धारण न करने वाले अभिभावकों एवं छात्र– छात्राओं को शिक्षण संस्थानों में प्रवेश निरूध्द करने बाबत सख्त हिदायत दिया जावे। इस संबंध में लिखित निर्देश जिला दण्डाधिकारी के माध्यम से जारी कराई जावे ।

3. सभी पेट्रोल पम्पो पर फ्लेक्सि/बेनर के माध्यम से सभी दो पहिया मोटर वाहन चालकों एवं पीलियन राइडर को हेलमेट धारण करने के लिए पाबंद करें साथ ही पेट्रोल की आपूर्ति के दौरान वाहन चालकों को हेलमेट धारण करने पर ही पेट्रोल वितरण करेगे ऐसे सख्त हिदायत दिया जावे ताकि सभी हेलमेट पहन कर ही पेट्रोल पम्प आवें।

4. स्थानीय निकाय जैसे – ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका एवं नगर निगम एवं कन्टनमेन्ट बोर्ड के माध्यम से, ठेके पर वाहनों की पार्किंग व्यवस्था दी जाती है, जहाँ यात्रीगण बिना हेलमेट धारण किये हुये आकर वाहन पार्किंग में लगाते है, हेलमेट धारण करने पर ही उनको वाहन पार्किंग की सुविधा दी जावे, ऐसी पार्किंग संचालकों को सख्त हिदायत दी जावे।